अनवान बलविन्द्र कौर बनाम जगतार सिंह
प्र.सं. 02/2020 अन्तर्गत धारा 152–151 सीपीसी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 152–151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि न्यायालय के प्रकरण प्र.सं. 35/12 अनवान बलविन्द्र कौर आदि बनाम जगतार सिंह आदि निर्णय दिनांक 27.11.2019 वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया गया। संहबन से मात्र वादीगण को ही उन्हे प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित कर प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1) को खातेदार घोषित नहीं किया गया, जिससे राजीनामा का मकसद ही समाप्त हो जाता हैं। इसलिये न्यायहित में पारित निर्णय एवं डिक्री को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक हैं। अतः न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम के बाद प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज करते हुए चक 18 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 282/353 मु.नं. 28 कि.नं. 16 ता 18 प्रत्येक 0.240है. उतरी पासा, 19 की 0.241है. उतरी पासा व 20/2 की 0.216है. उतरी पासा कुल 1.177है. भूमि का खातेदार घोषित करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा नो–ऑब्जेक्शन किया गया हैं। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र एवं मूल वाद में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार संशोधित निर्णय/डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। न्यायालय की पत्रावली प्रकरण सं. 35/12 अनवान बलविन्द्र कौर आदि बनाम जगतार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88–92ए–53 आरटीएक्ट निर्णय एवं डिक्री 27.11.2019 का अवलोकन किया। पत्रावली में पारित निर्णय व डिक्री तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न्यायालय में दिनांक 19.08.2019 को राजीनामा पेश किया गया। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 को तस्दीक किया गया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2019 में मुताबिक राजीनामा चक 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 282/353 मु.नं. 28 के कि.नं. 16 ता 25/2 की कुल 2.353 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 1/2 भाग कि.नं. 21/2 की 0. 202है., 22/2 की 0.228है., 23/2 की 0.228है. 24/2 की 0.227 है., 25/2 की 0.228है., 16 ता 18 प्रत्येक 0.013है. दक्षिणी पासा, 19 ता 20 प्रत्येक 0.012है0 दक्षिणी पासा कुल 1.176है. भूमि वादीगण बलविन्द्र कौर एवं बीकर सिंह को एवं शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 जगतार सिंह के हिस्सा में आनी थी। परन्तु संहबन से न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय वाद वादी स्वीकार कर राजीनामा अनुसार 1.176 है. भूमि वादीगण बलविन्द्र कौर व बीकर सिंह को राजीनामा अनुसार विभाजन स्वीकार कर खातेदार घोषित किया गया। एवं प्रतिवादी सं. 1 जगतार सिंह का हिस्सा निर्णय में लिखा जाने से रह गया हैं। विलोपित हो गया हैं। उक्त विवेचन एवं पत्रावली के गहन अवलोकन के पश्चात न्यायालय का यह मत हैं कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित किया गया हैं। तथा न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय केवल वादीगण को ही उनके हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं संहबन से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा किया जाना रह गया हैं। जिसकी दुरूस्ती यदि नहीं	

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व),
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

अनवान बलविन्द्र कौर बनाम जगतार सिंह
प्र.सं. 02/2020 अन्तर्गत धारा 152–151 सीपीसी

की जाती हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 152–151 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं। अतः न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2019 के अंतिम पैरा "पत्रावली का अवलोकन किया.................. ....आदेश दिए जाते हैं।" की 11वीं पंक्ति "पासा कुल 1.176 ....बीकर सिंह को" में बीकर सिंह को के आगे एवं 12वीं पंक्ति "राजीनामा अनुसार विभाजन...................इसी आश्य की" से पहले **"एवं चक 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 282/353 मु.नं. 28 के कि.नं. 16 ता 18 प्रत्येक 0.240है0 उतरी पासा, 19 की 0.241है0 उतरी पासा व 20/2 की 0.216है0 उतरी पासा कुल 1.177है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वितीय पक्षकार जगतार सिंह को"** लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे।

इसी अनुसार संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2020.03.19 15:39:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: